

भोपाल, दिनांक 15 मई 2013

आदेश

क्र. एफ-1-1-2012-सात-शा-6.—मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 13 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, 15 मई, 2013 से विदिशा जिले की कुरवाई तहसील की सीमाएं, उसमें से राजस्व वृत्त पठारी के पटवारी हल्का क्रमांक 55 तथा 57 से 76 (21 पटवारी हल्के) अपवर्जित करते हुए परिवर्तित करती है तथा कुरवाई तहसील के राजस्व वृत्त पठारी के पटवारी हल्का क्रमांक 55 तथा 57 से 76 (21 पटवारी हल्के) को समाविष्ट करते हुए, **नवीन तहसील पठारी** का सृजन करती है जिसमें कुल 21 पटवारी हल्के तथा 67 ग्राम होंगे। उक्त तहसील का मुख्यालय पठारी में होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अजीत केसरी, सचिव.

भोपाल, दिनांक 15 मई 2013

पृ. क्र. एफ-1-1-2012-सात-शा-6.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-1-1-2012-सात-6, दिनांक 15 मई 2013 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अजीत केसरी, सचिव.

Bhopal, the 15th May 2013

ORDER

No. F 1-1-2012-VII-6.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 13 of the Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), the State Government, hereby, alter the limits of Kurvai Tehsil of District Vidisha from 15th May, 2013 by excluding therefrom the Patwari Halkas No. 55 and 57 to 76 of Revenue Circle Pathari (21 Patwari Halkas) and create a **New Tehsil Pathari** comprising of Patwari Halkas No. 55 and 57 to 76 of Revenue Circle Pathari (21 Patwari Halkas) of Kurvai Tehsil, in which the total Patwari Halkas shall be 21 and Village shall be 67. The headquarter of the said Tehsil shall be at Pathari.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
AJIT KESARI, Secy.